राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 4(10)/पंरावि/पीपी/जीकेएन/2014–15 जयपुर, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

जिला कलक्टर,
धौलपुर।

विषय :– पत्थर खरंजा सडक/सीमेन्ट सडक/इन्टरलॉकिंग टाईल सडक निर्माण बाबत्।
संदर्भ :– विभागीय पत्र 580 दिनांक 31.03.2015 एवं आपका पत्रांक दिनांक

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा धौलपुर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में खरंजा सडक बनाने एवं जल निकास कार्य करवाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे, जिसके द्वारा धौलपुर जिले में स्थानीय पत्थर बहुतायत से उपलब्ध होने के कारण, पत्थर के खरंजे की आयु अधिक होने आदि कारणों से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पत्थर खरंजा सडक निर्माण करना प्रस्तावित किया गया था।

विभागीय परिपत्र क्रमांक 17/2015 दिनांक 18.08.2015 द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015, भाग–1 लागू की जा चुकी है, जिसके निर्देश संख्या 23.5 में सडक निर्माण के मापदण्ड वर्णित है। 23.5.1 के अनुसार स्थानीय पत्थर का उपयोग करते हुये खरंजा सडक का निर्माण प्रथम प्राथमिकता से करना प्रस्तावित किया गया है। सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कार्य का मौका निरीक्षण उपरान्त आवश्यकता अनुसार सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

धौलपुर जिले में स्थानीय पत्थर बहुतायत से उपलब्ध होने के कारण सडक निर्माण में यथा सम्भव स्थानीय सामग्री धौलपुर पत्थर से सडक निर्माण को ही बढावा दिया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता ग्राम पंचायत/ग्राम सभा स्तर से ही तय की जाती है। अतः उक्तानुसार सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कार्य का मौका निरीक्षण के स्थान पर ''ग्रामसभा के अनुमोदन उपरान्त'' ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकता अनुसार बिन्दु संख्या 23.5.3 में सीमेन्ट कोन्क्रीट/इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट टाईल की सडक के मापदण्ड अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा। ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(श्रीमद् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।

30/9/15
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)